

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

- अधिसूचना :-

राँची, दिनांक :- 19/06/18

अधि.सं.-02/स्था.(स्था.पदा.)-03-06/2018.....2604...../ श्री हेमन्त कुमार (ID 3482), मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर अतिरिक्त प्रभार मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका को स्थानांतरित करते हुए अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अधि.सं.-02/स्था.(स्था.पदा.)-03-06/2018.....2605...../ श्री ब्रजेश चन्द्र सिन्हा (ID 3174), तकनीकी सलाहकार, जलपथ अंचल, दुमका अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

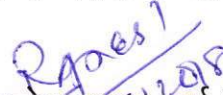
अधि.सं.-02/स्था.(स्था.पदा.)-03-06/2018.....2606...../ श्री मोतीलाल पिंगुआ (ID 4378), मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर अतिरिक्त प्रभार मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अधि.सं.-02/स्था.(स्था.पदा.)-03-06/2018.....2607...../ श्री मुकेश कुमार (ID 3175) कार्यपालक अभियंता, पुनासी स्पीलवे प्रमण्डल, पुनासी शिविर देवघर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक तकनीकी सलाहकार, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, मेदिनीनगर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार अपने ही वेतनमान में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के प्रभार में रहेंगे।

अधि.सं.-02/स्था.(स्था.पदा.)-03-06/2018.....2608...../ श्री जय प्रकाश चौधरी (ID 3908), कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, जसीडीह, अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, पुनासी स्वीलवे प्रमण्डल, पुनासी शिविर-देवघर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-02/स्था.(स्था.पदा.)-03-06/2018.....2608/ राँची, दिनांक :- 19/06/18

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं कार्यालय अभिलेख हेतु इसकी 25(पचीस) प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-02/स्था.(स्था.पदा.)-03-06/2018.....2608/ राँची, दिनांक :- 19/06/18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/सभी मुख्य अभियंता/प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची/संबंधित पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब., 7यो., एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंतर्गत विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(राजेश कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव